रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 124] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 1970/आषाढ़ 10, 1892

No. 124] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 1970/ASADHA 10, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 1st July 1970

G.S.R. 1000.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Roller Mills Wheat Products (Ex-mill) Price Control Order, 1969, namely:—

1. (1) This Order may be called the Roller Mills Wheat Products (Ex-mill) Price Control (Amendment) Order, 1970.

(2) It shall come into force on the 1st day of July, 1970.

2. In the Roller Mills Wheat Products (Ex-mill) Price Control Order, 1969,—

(i) in sub-clause (1) of clause 3, after the brackets and figure "(3)", the brackets and figure "(4)" shall be inserted;

(ii) for Table I, the following Table shall be substituted, namely:—

TABLE I

(*See* Clause 3)

Name of wheat products	Price in rupees per quintial				
	States of Andhra Pradesh, Assam Bihar, Kerala, Madhya Pradesh, Mysore, Orissa, Punjab, Rajasthan and the Haryana the Union territories of Himachal Pradesh and Chandigrah.	State of Uttar Pradesh	State of Tamil Nadu	State of West Bengal	Union territory of Goa, Daman & Diu.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Suji/Rawa	110·00	110·00	109·00	109·00	109·00
Maida	106·00	106·00	105·00	105·00	105·00
Wholemeal Atta	84·00	84·00	84·00	84·00	84·00
Resultant Atta	80·00	81·00	80·00	80·00	81·00
Bran	35·00	35·00	35·00	38·00	35·00

[No. 201 (Genl) (2) / 21 / 70-PY. II.]

H. K. TANDON, Jt. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1970

सा० का० नि० 1000.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, रालर मिल्स गेहूं उत्पाद (बाह्य मिल) कीमत नियंत्रण आदेश, 1969 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) यह आदेश रालर मिल्स गेहूं उत्पाद (बाह्य मिल) कीमत नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1970 कहा जा सकेगा।

(2) यह 1970 जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हो जाएगा।

2. रालर मिल्स गेहूं उत्पाद (बाल्य मिल) कीमत नियंत्रण आदेश, 1969 में, —

(i) खण्ड 3 के उपखण्ड (1) में "(3)" कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, "(4)" कोष्ठक और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) सारणी 1 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

सारणी 1

(खण्ड 3 देखें)

गेहूं उत्पाद का नाम	प्रति क्विंटल कीमत रुपयों में				
	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा राज्य और हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र	उत्तर प्रदेश राज्य	तमिलनाडु राज्य	पश्चिमी बंगाल राज्य	गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्र ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूजी / रवा	110.00	110.00	109.00	109.00	109.00
मैदा	106.00	106.00	105.00	105.00	105.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिना छना आटा	84 00	84.00	84.00	84.00	84.00
अवशिष्ट आटा	80.00	81.00	80.00	80.00	81.00
चोकर	35.00	35.00	35.00	38.00	35.00

[सं० 201(जनरल) (2)/21/70 पी वाई -II]

हरि कृष्ण टन्डन, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970